न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00369 (88/2017) 223 आरटीएक्ट

गुड्डी पुत्री बनवारी जाति जाट साकिन ढण्ऐला तहसील नोहर हाल चक 20 जेएसएन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. बनवारी पुत्र हिराराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. गोपाल पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. हरिसिंह } पि0 बनवारी जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर
5. बंशीलाल } जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर त0 नोहर –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 15.7.2017 प्रकरण संख्या 266/2017 बअनवानी इन्द्राज बनाम बनवारी आदि

श्री महेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 5

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 6

निर्णय दिनांकः–28.02.2020

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत एक दावा पेश कियाकि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नेाहर के खाता सं0 105 की 60 बीघा 14 बिस्ववा भूमि स्थित है जिसमे हीरा वल्द हेमा जाति जाट संयुकत तौर से 54 बीघा के काश्तकार हैं। हीरा वल्द हेमा फौत हो चुका है एवं धर्मपत्नी धनी भी फौत हो चुकी है उनकी फौतदगी उपरान्त उपरोक्त कृषि भूमि उनके दो पुत्र बनवारी, चेतराम पर औद हुई एवं बाद खाता तकसीम रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता सं0 286/277 के ख0 नं0 124/1 की 13.662 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई। उक्त भूमि

का प्रतिवादी सं0 1 खातेदार काश्तकार है। यह भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का जन्म से हक व हिस्सा यानी बाई बर्थ राईट होने का कथन करते हुए वादी व प्रतिवादी सं0 1/4 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1 ने वाद वादी स्वीकार करने का कथन किया। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित हेकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मातहत अदालत का निर्णय मनमाना व स्वेच्छाचारीपूर्ण व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, जो निरस्त योग्य है। मातहत अदालत ने निर्णय पारित करते वक्त माईण्ड अप्लाई नहीं किया ना जांच की गई तथा वारिसान की सूची अथवा साक्ष्य लेना तक जरूरी नहीं समझा अपील इसी आधार पर स्वीकार योग्य है। इन्द्राज वगैरा द्वारा अपीलाण्ट का नाम सजरा खानदान में दर्ज न करके कूटरचित दावा पेश किया है जबकि अपीलाण्ट इन्द्राज वगैरा की सगी बहिन है जिसका जन्मजात अधिकार था जिनको फरीक नहीं बनाया गया और बिना फरीक बनाये वाद वादी डिक्री किया गया है। राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार थी उसके भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट 1/6, 1/6 हिस्सा की खातेदार थी इसलिए अपीलाण्ट आवश्यक पक्षकार है तथा उसके हकों का हनन हुआ है इस लिए अपील धारा 96 सीपीसी में पेश की है। अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए अपीलाधीन निर्णय का कोई ज्ञान अपीलाण्ट का नहीं था अपीलाण्ट अपने ससुराल में रहती है दिनांक 24.10.2017 को अपने पीहर ढण्ढेला आई तब अपीलकृत आदेश का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 5 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. धारा 96 सीपीसी में वर्णित तथ्यों के आधार पर तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
8. धारा–5 मियाद अधिनियम के तथ्यों के आधार पर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
9. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 सं 1 का वाद घोषणा का था जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी रोही ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 286/277 के ख. नं. 124/1 की 13.662 है0 भूमि थी जो हिन्दू कर्ता खानदान होने के कारण विरास्त में रेस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज होने का कथन करते हुए वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ब0हि0ब0 का हक घोषित करने का अनुतोष मांगा गया था। प्रतिवादी सं0 1 वादी को स्वीकार किया तथा वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी प्रकार एतराज नहीं होना अंकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद 15.07.2017 को दर्ज किया गया और उसी दिन राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार)–2017 कैम्प कोर्ट नोहर में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में तलबी करवाये जाने के संबंध में कोई आदेश नहीं हुए क्योंकि वाद में अंकित सभी पक्ष उपस्थित आ गये थे और उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाण्ट का कथनहै कि वह रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 5 की सगी बहिन है तथा रेस्पोडेण्ट् सं0 1 की पुत्री है। रेस्पोडेण्ट्स ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि वह अपीलाण्ट उनकी पुत्री/बहन की सगी बहन नहीं है। भूमि पैतृक होने के कारण उसका भी 1/6 हक हिस्से की खातेदार काश्तकार है। रेस्पो0 सं0 1 की पुत्री होने के कारण वह एक आवश्यक पक्षकार है अपीलाधीन आदेश आवश्यक पक्षकार को पक्षकार संयोजित किये बिना पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए पुनः अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2020 को उपस्थित हों। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.04.20 12:11:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: